



BRIDCUL (ब्रिडकुल)

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड

परियोजना इकाई-हल्द्वानी

इकाई कार्यालय: रौतेला कॉलोनी, छोटी मुखानी, पो0आँ0-बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल-263139

पत्रांक: 89/ब्रिडकुल/विविध/2018

दिनांक: 29/01/2018

REQUEST FOR PROPOSAL

परियोजना इकाई हल्द्वानी के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं के कन्सल्टैन्सी कार्यों हेतु प्रस्तुतीकरण विषयक

निगम द्वारा "श्रेणी डी" (अर्थात ₹0 5.00 करोड़ लागत तक के कार्यों) व उच्चतर श्रेणी हेतु भवन निर्माण के अन्तर्गत इस निगम में पंजीकृत कन्सल्टैन्टों/कन्सल्टैन्सी फर्मों से निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित परियोजनाओं (जिनमें प्रस्तावित कार्यों व अन्य विवरण सम्मिलित हैं) के कन्सल्टैन्सी कार्यों हेतु दिनांक 15.02.2018 को परियोजना इकाई कार्यालय हल्द्वानी में प्रस्तुतीकरण चाहे जा रहे हैं:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत लागत (मय कन्टीन्जेन्सी, सेन्टेज व अधिप्राप्ति आदि सहित) (₹0 लाख में)	परियोजना में प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता
1	लघु औद्योगिक आस्थान भीमताल, ब्लॉक भीमताल, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड में प्रस्तावित विभिन्न निर्माण कार्य।	96.09	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Boundary Wall ▪ Road ▪ Civil work for toilets ▪ Sanitary, Water supply & Sewerage work ▪ Septic Tank & Soak pit ▪ Solar Light & Signage Board 	भूमि उपलब्ध है।
2	लघु औद्योगिक आस्थान किशनपुर, ब्लॉक रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड में प्रस्तावित विभिन्न निर्माण कार्य।	86.09	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Road & Drain Work ▪ Landscaping ▪ Solar Street Lighting ▪ Signage Board 	भूमि उपलब्ध है।

उक्त प्रस्तुतीकरण में कन्सल्टैन्ट/कन्सल्टैन्सी फर्म द्वारा उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं हेतु पृथक-पृथक प्रस्तुतीकरण में विभिन्न तथ्यों जिसमें मुख्यतः उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित समय (Time Schedule), उक्त प्रकार के किए गए/किए जा रहे कार्यों का विवरण व परियोजना की स्थालाकृति के अनुरूप डिजाइन कॉन्सैप्ट इत्यादि का उल्लेख किया जाए, जिसके अनुरूप सम्बन्धित कार्यों हेतु कन्सल्टैन्टों द्वारा दी गई उत्कृष्ट/सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतीकरण के अधार पर कन्सल्टैन्ट का चयन किया जाएगा।

नोट:- सम्बन्धित परियोजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु शासन से स्वीकृति एवं धनावंटन होने के उपरान्त ही चयनित कन्सल्टैन्ट के साथ अनुबन्ध गठन की कार्यवाही निगम मुख्यालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्रतिशत दरों के आधार पर की जाएगी व प्रतिशत दरों का आंकलन स्वीकृत लागत से कन्टीन्जेन्सी, सेन्टेज व अधिप्राप्ति मदों को घटाकर किया जायेगा।

(इं० संजय कुमार जैन)
परियोजना प्रबन्धक (कार्य०)